राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 702/2024

श्रीमती निर्मला शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. स्कुल शिक्षा परिषद, निदेशक, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
5. रजिस्ट्रार, शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नया साजाड़ा, ब्लॉक लूणी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2025
आदेश की दिनांक : 24.07.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी. एस. सोढ़ा , अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अंग्रेजी शिक्षिक (ग्रेड–।।) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साई सोइनतरा फांटा, शेरगढ में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान कार्यरत स्थल में कार्यग्रहण से पूर्व वर्ष 2016 की विज्ञप्ति के तहत उसकी नियुक्ति दिनांक 04.10.2018 को राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, नया सजाडा, ब्लॉक लूणी जिला जोधपुर में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने शाला दर्पण पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षक के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया था जिसके तहत अपीलार्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक के पद पर चयन हेतु माह अगस्त, 2024 में एक परीक्षा आयोजित करवाई जिसका

परिणाम माह जून, 2025 में घोषित किया, उस परीक्षा में अपीलार्थी ने कुल 145 उपलब्ध पदों में से 264 वी मेरिट रैंक प्राप्त की (अनुलग्नक–2)।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यार्थी विभाग ने दिनांक 26.06.2025 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें चयनित अभ्यथियों को ऑनलाइन माध्यम से अपने वांछित विद्यालय के विकल्प भरने का निर्देश दिया गया (अनुलग्नक–3), जिसका परिणाम दिनांक 30.06.2025 को घोषित किया गया जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रंमाक 94 पर अंकित था (अनुलग्नक–4) और अपीलार्थी द्वारा अपनी पसंद के 17 स्कूल चुनने के बावजूद, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साई सोइंतारा फांटा, शेरगढ़ आवंटित किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2025 को विभाग में सम्पर्क किया परन्तु विभागीय स्तर पर कोई संतोषपद जवाब नहीं मिला तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवंटन सूची दिनांक 30.06.2025 को जारी करते हुए प्रतियोगी अभ्यर्थियों को दिनांक 02.07.2025 तक आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने को आदेशित किए गए। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साई सोइंतारा फांटा, शेरगढ़ के लिए कार्यमुक्त किया गया। जिसके सम्बंध में अपीलार्थी ने अपने विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यद्यपि उसके द्वारा विद्यालयों के लिये दिये गये अपने विकल्पों में तकनीकी खराबी के कारण केवल 17 विद्यालयों का ही विवरण ही वेबसाईट पर लॉक किया जा सका तथा तकनीकी खराबी के चलते वह सभी इच्छित स्थन विभाग के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाई थी, अतः इस हेतु अनुमति भौतिक ऑनलाईन प्रदान करावें। अपीलार्थी के मूल पदस्थापन स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को वर्तमान में पदस्थापित नहीं किया गया और विभागीय स्तर पर एम.जी.जी. एस. विद्यालय आवंटन की प्रकिया पुनः किया जाना समीचीन नहीं है तो उसे मूल पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया सजाडा में ही पदस्थापन आदेश जारी करावें। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करावें कि अपीलार्थी के प्रकरण पर पुनर्विचार करते हुए उसे उसके निवास के नजदीक विद्यालय पुनः आवंटित/पदस्थापित किया जावे या वैकल्पिक रूप में उसे निकटतम स्थान के विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे अथवा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 01.07.2025 को अपास्त कर कार्यमुक्त किए जाने से पूर्व कार्यरत स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नया सजाडा, ब्लॉक लूणी जिला जोधपुर में ही यथावत कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

4. हमार द्वारा विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

NDG/-